तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	10.12.19 [illegible] P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 11/2/20 को पेश हो।	
11.2.20	वकील प्रार्थी उपस्थित है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 13.2.20 को पेश हो। Sd/-	
13.2.20	वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। सायलान अपना प्रार्थना-पत्र साबित करने में असफल रहे हैं। इस वजह से सायलान का प्रार्थना-पत्र साबित न होने की वजह से [illegible] खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] के साथ संलग्न हो। सुनाया। Sd/-	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/99/19

बउनवान

1. साहिल पुत्र श्री कमलसिंह जाति मीना निवासी गारू तहसील कठूमर
2. सौरभ पुत्र श्री कमलसिंह जाति मीना निवासी गारू तहसील कठूमर
   जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. कमलसिह पुत्र सुरजनसिह जाति मीना निवासी गारू तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर ———— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री धनश्याम भार्मा एडवोकेट : वकील सायलान

आदेश दिनांक 13.02.2020

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 449, 505, 746, 749, 2272, 2273, 711 वाके ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान के दादा सुरजनसिंह की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें सायलान को बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी सायलान के दादा सुरजनसिंह से ही गैरसायल सं0 1 कमलसिंह को विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार प्राप्त हो जाते है। विवादित आराजी पैत्रिक होने से खसरा नम्बर 449, 505, 746, 749 में 2/3 हिस्सा खसरा नम्बर 2272, 2273 मे 2/6 हिस्सा खसरा नम्बर 711 रकवा 0.90 हे. में 2/15 हिस्सा सायलान का बनता है। सायलान ने गैरसायल सं0 1 से अपने हिस्से की आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 सायलान के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व रहन वय करने को अमादा है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान को अपार हानि व नुकशान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से सायलान ने गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। जावे। प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1, 2 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 24.09.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायलान ने अपने

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम गारू पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता सायलान की एकपक्षिय वहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। सायलान ने उक्त आराजी को दादा सुरजनसिंह की पैदा कर्दा होना बताकर पैत्रिक आराजी में बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो जाने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये छाया प्रति जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की है जिसमें विवादित आराजी का 1/8 हिस्सा गैरसायल सं0 1 कमलसिंह व भोश आराजी अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायलान के दादा सुरजनसिंह की पैदा कर्दा हो व कमलसिंह को दादा सुरजनसिंह से विरासत में प्राप्त हुई हो। इस तथ्य को सावित करने का भार सायलान पर था लेंकिन इसे सावित करने के लिये सायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। इससे विवादित आराजी सुरजनसिंह की पैदा कर्दा आराजी यानि पैत्रिक आराजी प्रतीत नहीं होती है। सायलान अपना प्रार्थना पत्र सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने की वजह से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

13.2.2020

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 13.02.2020 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
13.2.2020

Scanned by CamScanner